दिनांक :- 02-05-2020

कॉलेज का नाम :- मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा

लेखक का नाम :- डॉ० फारूक आजम (अतिथी शिक्षक)

स्नातक :- द्वितीय खण्ड कला

विषय :- प्रतिष्ठा इतिहास

इकाई :- चतुर्थ

पत्र :- चतुर्थ

अध्याय :- चीन में पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रसार (1860-1899)

तिनत्सीन घटना :- ईसाई धर्म-प्रचारक चीनकी जनता और सरकार दोनो की आँखो के काँटे बन गए। जगह-जगह पर लोग धर्म-प्रचारको में विरुद्ध फुलूस निकालते लगे। उनकी राष्ट्र और धर्म-विरोधी हरकतो की निन्दा करने लगे। उत्तेजित भीड़ ने तो कई गिरजाघरो को गिराकर अपना क्रोध शोत किया। तिनत्सीन के ईसाई अनाथालय, चर्च आदि पर आक्रमण किए गए। इसमें फ्रेंसीसी वाणिज्य-दूत दो पुरोहित 10 भिक्षुणियो, तीन रूसियो तथा 30 चीनी सेवको की हत्या

कर दी गई। समस्त संधिगत बन्दरगाहों पर इस घटना से आतंक छा गया। फ्रांसीसी, ब्रिटिश तथा अमरीकी युद्धपोत तिन्त्सीन के निकट पहुँच गए। इन शक्तियों की सामूहिक माँग के कारण विद्रोहियों को प्राणदण्ड दिया गया। चीन ने 250000 तायल क्षतिपूर्ति दी। क्षमा-प्रार्थना के लिए विशेष मण्डल फ्रांस भेजा गया।

मार्गेरी घटना- ब्रिटिश व्यापारी चीन में बर्मी सीमा की ओर से व्यापार की सुविधा प्राप्त करने चाहते थे। बर्मी शासक तथा पश्चिमी चीन के सीमावर्ती प्रान्त युन्नान के स्थानीय अधिकारी इस व्यापारिक मार्ग को खोलने के विरुद्ध थे परंतु ब्रिटेन ने इसकी कोई परवाह नहीं की। 1874 में पीकिंग स्थित ब्रिटिश राजदूत सर थामस वेड ने एक दल को बर्मा-चीन मार्ग की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए भेजा। इस दल के लिए पारपत्रों और

एक दुभाषिए का प्रबंध भी कर दिया गया था। परंतु जब यह दल युन्नान पहुँचा तो सूचना मिली की सीमवर्ती चीनी कबीले उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार है इस पर दल के नेता मार्गेरी की हत्या कर दी। सर थामस वेड ने इस जघन्य कांड के लिए चीनी सरकार को उत्तरदायी ठहराया। चीनी सरकार से माँग की गई कि इस कांड की जाँच करने के लिए चीनी सरकार एक कमीशन नियुक्त करे जिसमें ब्रिटेन का समुचित प्रतिनिधित्व हो।

(२) क्षतिपूर्ती की माँग की गई और इस बात का आश्वासन माँगा गया कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होगी। (३) भारत के मार्ग का अध्ययन करने के लिए एक दूसरे दल को यात्रा की अनुमति प्रदान की जाए एवं (४) सम्राट ब्रिटिश राजदूत को सम्मानसहित अपने से मिलने की अनुमति दे।

चेफू समझौता - शक्ति प्रदर्शन के भय से चीन ने ब्रिटिश

राजदूत की बातों को सिद्धान्तः तुरंत स्वीकार कर लिया। 13 सितम्बर, 1876 को चेफू समझौता तैयार किया गया। जिसे चीन की सरकार ने चार दिन बाद स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश व्यापार के लिए अनेक बंदरगाह खुल गए और उसे राज्यक्षेत्रातीत के अधिकार मिले। यांगत्सी नदी ब्रिटिश-व्यापार के लिए खोल दी गई तथा तिब्बत में ब्रिटिश नागरिकों को भ्रमण करने का अधिकार मिल गया। चीन ने दो लाख तायल क्षतिपूर्ति में देने के लिए मान लिया। संधिगत बन्दरगाहों और पीकिंग में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार करने का भी वचन दिया गया। ब्रिटेन को कुछ अधिक व्यापारिक सुविधाएँ भी दी गई। वस्तुतः चेफू समझौता 1842, 1858 एवं 1860 की ब्रिटिश संधियों का महत्वपूर्ण पूरक था।

बर्मा की क्षति - इन्हीं दिनों फ्रांस दक्षिण-पूर्व एशिया से

अपना हाथ-पाँव फैला रहा था। इससे ब्रिटेन भयभीत हो गया। अतः भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए 1886 में बर्मा पर अधिकार कर लिया। बर्मा चीन का एक अधीनस्थ राज्य था। चीन को इससे खोना पड़ा। एक समझौता द्वारा चीन ने बर्मा पर ब्रिटिश आधिपत्य को मान लिया। इस पर ब्रिटेन ने तिब्बत में एक व्यापार मंडल भेजने के अधिकार को त्याग दिया। किन्तु, ब्रिटेन ने अपने वचन को नहीं निभाया और 1904 में तिब्बत में यंगहसबैंड दूतमंडल भेजा।

फ्रांस – 19वीं सदी के आरम्भ से ही फ्रांस अन्नाम में दिलचस्पी ले रहा था। तिनत्सीन की संधि के उपरान्त फ्रांस ने अन्नाम, तोंगकिन एवं चीन के पश्चिमी प्रान्तों की ओर दृष्टि दौड़ाई।

1867 तक फ्रांस ने कंबोडिया पर संरक्षण प्राप्त कर लिया और कोचीन चीन के कुछ प्रदेश देने के लिए अनाम पर दबाव डाला। 1867 से 1881 तक वह इस क्षेत्र में काफी

विस्तार करने में सफल रहा। कोचीन चीन पर इसका पूर्ण अधिकार हो गया। तोंगकिन होकर युन्नान में इसे व्यापारिक अधिकार भी मिल गया। अनाम में इसे राज्य क्षेत्रातीत अधिकार तथा अन्य सुविधाएँ मिल गई।

फ्रांस का यह तीव्र प्रसार चीन को अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी संप्रभुता जताने के लिए फ्रांस के लिए नदी का रास्ता बन्द कर दिया। इससे फ्रांस और चीन मुठभेड़ अवश्यंभावी हो गई। तोंगकिन और अनाम की सीमाओं में फ्रांसीसी तथा चीनी सेनाएँ एक दूसरे से लड़ने लगीं। फ्रांस का मुकाबला करने में चीन असमर्थ था, अतएव वह शांति समझौता करने लगा। अतएव 1884 में ली-फोरियर समझौता (Li-Fourier Convention) और चीनी फ्रांसीसी संधि (Sino-French Treaty) सम्पन्न हुई। इसके द्वारा फ्रांस ने चीन की दक्षिण पश्चिम सीमा से सेना

हत्या लेने और वहाँ चीन को संप्रभुता मान लेने का वचन दिया। इसके बदले चीन ने अनाम में फ्रांसीसी संरक्षण (Protectorate) को मान लिया। इस तरह स्वर्गिक साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों पर विदेशियों का अधिकार होता गया।

रूस :- 1890 से 1899 तक रूस भी चीन में अपना हाथ-पाँव फैला रहा था। 1858 की एगुन-संधि (Treaty of Aigun) और 1860 की पेकिंग-संधि द्वारा अमुर और सुंगारी चीनी तथा रूसी जहाजों के लिए खोल दिए गए। समुद्रवर्ती प्रान्तों पर रूस का अनन्य अधिकार हो गया।

1879 में लिवेदिया-संधि (Treaty of Livadia) द्वारा चीन के सस्तु मिजाजी दूत चुंग हो ने प्रायः समूर्ण इली (Illi) का प्रान्त रूस को दे दिया। जब पेकिंग दरबार ने इस संधि को मानने से इन्कार कर दिया तो इस संधि में कुछ संशोधन लाकर 1881 में सेंट पीटर्सबर्ग की संधि की गई।

Scanned with CamScanner